

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2019—आश्विन 23, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. 84 (9)-वि-निर्वा.-चार-2019-उपचुनाव-222.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 576/EXIT/SDR/2019/VOL.I दिनांक 12 अक्टूबर, 2019 और उसका हिन्दी रूपान्तर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली- 110001

संख्या 576/एक्जिट/2019/एस.डी.आर.-खण्ड-1

तारीख- 12 अक्टूबर, 2019

### अधिसूचना

यतः, हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1 के अनुसार) एवं बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45- सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचनों, की घोषणा आयोग के प्रेस नोट दिनांक 21.09.2019, 22.09.2019 एवं 24.09.2019 के द्वारा घोषित कर दी गई थी, जिसमें सभी निर्वाचनों के लिए मतदान 21.10.2019 को होना तय है; तथा

2. और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो.प्र.अधिनियम, 1951) की धारा 126क के प्रावधानों के अनुसार इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा यथा अधिसूचित, इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों तथा ऐसे एक्जिट पोल के परिणाम के प्रसार पर प्रतिबंध होगा;

3. यतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क की उप-धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, उक्त धारा की उप-धारा (2) के उपबंधों के संबंध में एतद्वारा, 21.10.2019 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 06:30 बजे के बीच की अवधि को, ऐसी अवधि के रूप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान उपरोक्त वर्णित हरियाणा एवं महाराष्ट्र के विधान सभाओं के साधारण निर्वाचनों तथा 17 राज्यों की 51 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1 के अनुसार) तथा बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, के उप-निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसका प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसके प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों तथा उप निर्वाचनों के संबंध में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश से,

हस्ता./-

(एन. टी. भूटिया)

सचिव.

**संलग्नक-1**

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1.	अरुणाचल प्रदेश	56-खोन्सा (पश्चिम) (अ.ज.जा.)
2.	असम	1-रतबाडी (अ.जा.)
3.	असम	44-जनिया
4.	असम	74-रंगापारा
5.	असम	106-सोनारी
6.	बिहार	54-किशनगंज
7.	बिहार	76-सिमरी बख्तियारपुर
8.	बिहार	109-दरौदा
9.	बिहार	158-नाथनगर
10.	बिहार	163-बेलहर
11.	छत्तीसगढ़	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
12.	गुजरात	8-थराद
13.	गुजरात	20-खेरालु
14.	गुजरात	50-अमराईवाडी
15.	गुजरात	122-लुणावाडा
16.	हिमाचल प्रदेश	18धर्मशाला
17.	हिमाचल प्रदेश	55-पच्छाद (अ.जा.)
18.	केरल	01-मंजेश्वर
19.	केरल	82-एरनाकुलम
20.	केरल	102-अरूर
21.	केरल	114-कोन्नी
22.	केरल	133-वट्टीयूरकावू
23.	मध्य प्रदेश	193-झाबुआ (अ.ज.जा.)
24.	मेघालय	26-शेल्ला (अ.ज.जा.)
25.	उड़ीसा	2-बिजेपुर
26.	पुडुचेरी	10-कामराज नगर
27.	पंजाब	29-फगवाडा (अ.जा.)
28.	पंजाब	39-मुकेरियाँ
29.	पंजाब	68-दाखा
30.	पंजाब	79-जलालाबाद
31.	राजस्थान	28-मंडावा
32.	राजस्थान	110-खींवसर
33.	सिक्किम	10-पोकलोक-कामरंग
34.	सिक्किम	24-मारतम-रुमटेक (बी.एल)
35.	सिक्किम	27-गंगटोक (बी.एल)
36.	तमिलनाडु	75-विक्रमवांडी
37.	तमिलनाडु	227-नानगुनेरी

38.	तेलंगाना	89-हुजूरनगर
39.	उत्तर प्रदेश	7-गंगोह
40.	उत्तर प्रदेश	37-रामपुर
41.	उत्तर प्रदेश	77-इगलास (अ.जा.)
42.	उत्तर प्रदेश	175-लखनऊ कैंटोमेंट
43.	उत्तर प्रदेश	212-गोविन्दनगर
44.	उत्तर प्रदेश	237-मानिकपुर
45.	उत्तर प्रदेश	248-प्रतापगढ़
46.	उत्तर प्रदेश	269-जैदपुर (अ.जा.)
47.	उत्तर प्रदेश	280-जलालपुर
48.	उत्तर प्रदेश	282-बलहा (अ.जा.)
49.	उत्तर प्रदेश	354-घोसी
50.	गुजरात	16-राधनपुर
51.	गुजरात	32-बायड

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 576/EXIT/SDR//2019Vol-I

Dated: 12<sup>th</sup> October, 2019

### NOTIFICATION

Whereas, the schedule for the General Elections to the Legislative Assemblies of Haryana & Maharashtra, bye elections from 51 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 17 States and bye-elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra, were announced by the Commission vide Press Notes dated 21<sup>st</sup> September, 2019, 22<sup>nd</sup> September, 2019 and dated 24<sup>th</sup> September, 2019, with poll scheduled to be taken on 21-10-2019 for all the elections; and

2. And whereas, as per the provisions of Section 126A of The Representation of the People Act, 1951 (in short R.P. Act, 1951) there shall be restrictions on conduct of any exit poll and publication and dissemination of result of such exit poll during such period, as may be notified by the Election Commission in this regard;

3. Now, therefore, in exercise of the powers under sub-Section (1) of Section 126A of the R.P. Act, 1951, the Election Commission, having regard to the provisions of sub-Section (2) of the said Section, hereby notifies the period between 7.00 A.M. and 6.30 P.M. on 21-10-2019(Monday), as the period during which conducting any exit poll and publishing or

publicizing by means of the print or electronic media or dissemination in any other manner whatsoever, the result of any exit poll in connection with the above mentioned **General Elections to the State Legislative Assemblies of Haryana & Maharashtra and bye elections from 51 Assembly Constituencies (as per Annexure-I) of 17 States and bye elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra**, shall be prohibited.

4. It is further clarified that under Section 126(1)(b) of the R.P. Act, 1951, displaying any election matter including results of any opinion poll or any other poll survey, in any electronic media, would be prohibited during the period of 48 hours ending with the hours fixed for conclusion of poll in the respective polling areas in connection with aforesaid General elections and bye-elections.

By order,

Sd./-  
(N. T. BHUTIA)  
Secretary,

**Annexure-I**

<b>Sl.No.</b>	<b>Name of State</b>	<b>Number and Name of Assembly Constituency</b>
1.	Arunachal Pradesh	56-Khonsa (West)(ST)
2.	Assam	1-Ratabari (SC)
3.	Assam	44-Jania
4.	Assam	74-Rangapara
5.	Assam	106-Sonari
6.	Bihar	54-Kishanganj
7.	Bihar	76-Simri Bakhtiarpur
8.	Bihar	109-Daraunda
9.	Bihar	158-Nathnagar
10.	Bihar	163-Belhar
11.	Chhattisgarh	87-Chitrakot (ST)
12.	Gujarat	8-Tharad
13.	Gujarat	20-Kheralu
14.	Gujarat	50-Amraiwadi
15.	Gujarat	122-Lunawada
16.	Himachal Pradesh	18-Dharamshala
17.	Himachal Pradesh	55-Pachhad (SC)
18.	Kerala	01-Manjeshwar
19.	Kerala	82-Ernakulam
20.	Kerala	102-Aroor
21.	Kerala	114-Konni
22.	Kerala	133- Vattiyoorkavu
23.	Madhya Pradesh	193 - Jhabua (ST)
24.	Meghalaya	26-Shella (ST)
25.	Odisha	2- Bijepur
26.	Pudducherry	10 - Kamraj Nagar
27.	Punjab	29-Phagwara (SC)
28.	Punjab	39-Mukerian

29.	Punjab	68 - Dakha
30.	Punjab	79 - Jalalabad
31.	Rajasthan	28-Mandawa
32.	Rajasthan	110-Khinwsar
33.	Sikkim	10 - Poklok-Kamrang
34.	Sikkim	24 - Martam-Rumtek (BL)
35.	Sikkim	27 - Gangtok (BL)
36.	Tamil Nadu	75- Vikravandi
37.	Tamil Nadu	227-Nanguneri
38.	Telangana	89-Huzurnagar
39.	Uttar Pradesh	7-Gangoh
40.	Uttar Pradesh	37-Rampur
41.	Uttar Pradesh	77-Iglas (SC)
42.	Uttar Pradesh	175 -Lucknow Cantt.
43.	Uttar Pradesh	212-Govindnagar
44.	Uttar Pradesh	237-Manikpur
45.	Uttar Pradesh	248-Pratapgarh
46.	Uttar Pradesh	269-Zaidpur (.SC)
47.	Uttar Pradesh	280-Jalalpur
48.	Uttar Pradesh	282-Balha (SC)
49.	Uttar Pradesh	354-Ghosi
50.	Gujarat	16-Radhanpur
51.	Gujarat	32-Bayad